गवाही देना

आपराधिक मुकदमों में
बच्चों के लिए पुस्तिका

गवाही देना

आपराधिक मुकदमों में
बच्चों के लिए पुस्तिका

स्प्रिंगबर्न (Springburn) के एलबर्ट प्राइमरी स्कूल (Albert Primary School) और
पॉलॉकशील्ड्स (Pollokshields) के ग्लेनडेल प्राइमरी स्कूल (Glendale Primary School) के बच्चों को विशेष धन्यवाद।

चित्रः एलेनर मेरेडिथ (Eleanor Meredith),
डनकन जॉर्डनस्टोन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन (Duncan of Jordanstone College of Art and Design),
यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी (University of Dundee)

स्कॉटिश प्रशासन (Scottish Executive) के लिए ऐस्ट्रन (Astron) B41390 06/05 द्वारा निर्मित
स्कॉटिश प्रशासन (Scottish Executive) द्वारा प्रकाशित, जून, 2005
यह दस्तावेज़ 100% पुनरुत्पादित कागज पर मुद्रित है और 100% पुनःप्रयोग्य है।

विषय–सूची

01 परिचय

02 गवाह क्या है?

04 आपकी मदद कौन कर सकता है?

06 मेरे अदालत में जाने से पहले क्या होता है?

07 अदालत क्या है?

08 अदालत में कौन–कौन होते हैं और उनके काम क्या–क्या हैं?

10 गवाह के रूप में आपका काम क्या है?

12 अदालत को बताना कि आप क्या जानते हैं

14 अदालत में व्यक्ति को देखना

15 आपको गवाह बनने में सहायता देना

16 विशेष टेलीविज़न का प्रयोग करना

18 ओट (स्क्रीन) का प्रयोग करना

20 सहायक व्यक्ति का उपयोग करना

21 अन्य बातें जो आपकी मदद कर सकती हैं

22 अदालत में जाना

24 गवाह बनने के लिए प्रतीक्षा करना

26 आपकी गवाही पूरी हो जाने पर क्या होता है?

27 याद रखने योग्य बातें

28 प्रश्न?

परिचय

आपको गवाह बनने के लिए कहा गया है।

यह पुस्तिका आपकी मदद करेगी।

गवाह क्या है?

गवाह वह व्यक्ति है, जो हो सकता है कुछ महत्त्वपूर्ण बातें जानता हो।

हो सकता है आपने कुछ देखा हो या कुछ सुना हो। या आपके साथ कुछ हुआ हो।

हो सकता है आपने पुलिस या सामाजिक कार्यकर्ता या किसी वकील से बात की हो और उन्हें बताया हो कि आप क्या जानते हैं।

अब यह आवश्यक है कि आप अदालत में लोगों को बतायें कि आप क्या जानते हैं।

इसी को गवाही देना या गवाह बनना कहते हैं।

कुछ बच्चे गवाही देने या अदालत में जाने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। चिंता न करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं।

यह कुछ ऐसी बातें हैं, जिनके बारे में अन्य बच्चों ने पूछा है।

अदालत में क्या होता है?
अदालत में कौन–कौन होगा?
क्या मुझे अकेले जाना होगा?
जब मैं गवाही दूँ तो कौन मेरी मदद कर सकता है?

आपके लिए जो भी जानना ज़रूरी है, यह पुस्तिका आपको बतायेगी।

आपकी मदद कौन कर सकता है?

बहुत से ऐसे लोग हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं। आप अपने परिवार में या अपने स्कूल में किसी से बात कर सकते हैं।

कुछ अन्य लोग भी हैं, जिनका काम है आपकी मदद करना:

- **सामाजिक कार्यकर्ता** आपकी मदद कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जो उन लोगों के साथ काम करता है जिन्हें अतिरिक्त मदद की ज़रूरत हो।
- **पुलिस** आपकी यह जानने में मदद कर सकती है कि क्या हो रहा है।
- **वकील** वह व्यक्ति है, जिसने आपको गवाह बनने को कहा है। वे भी आपकी मदद कर सकते हैं।
- **पीड़ित सूचना एवं परामर्श (वीआईए)** [Victim Information and Advice (VIA)] के पास ऐसे लोग होते हैं जो गवाह बनने वाले बच्चों की मदद करते हैं।
- **गवाह सेवा** भी आपकी मदद कर सकती है। गवाह सेवा के लोग अदालत में काम करते हैं।

मेरे अदालत में जाने से पहले क्या होता है?

हो सकता है आपने गवाह बनने के बारे में किसी वकील से बात की हो। वकील वह व्यक्ति है, जो कानून के ठीक से काम करने में मदद देता है।

आमतौर पर वकील आपके पास आयेंगे, आपसे बातें करेंगे और आप से सवाल भी पूछेंगे। हो सकता है आपसे सवाल पूछने के इच्छुक एक से अधिक वकील हों।

वे आपको अदालत के बारे में बता सकते हैं और यह दिखा भी सकते हैं कि अदालत कैसी लगती है। अगर आप अदालत को देखना चाहते हैं तो वकील से कहें।

वकील आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे।

अदालत क्या है?

अदालत वह जगह है, जहाँ जज काम करते हैं। जज अदालत के प्रभारी होते हैं और उनका काम है आपकी बातें सुनना। वे आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं।

कुछ अदालतों में जज को शेरिफ भी कहा जाता है।

अदालत को यह फैसला करना होता है कि क्या किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है और कानून को तोड़ा है।

कानून, एक तरह से कुछ नियमों का समूह है, जिसे तोड़ना नहीं चाहिए। कानून तोड़ना अपराध करने के बराबर है।

कानून तोड़ना गलत बात है।

ज़्यादातर अदालतें, एक से ज़्यादा कमरों वाली इमारतें हैं। उसमें सबसे महत्त्वपूर्ण कमरा – अदालत का कमरा है।

अदालत में कौन–कौन होते हैं और उनके काम क्या–क्या हैं?

- अदालत में जज और वकील हमेशा होते हैं। उनका काम है यह देखना कि सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो।

जजों की मदद के लिए अन्य लोग भी होते हैं।

- **क्लर्क**: वह व्यक्ति है, जो जज के कागजों की देखभाल करता है।
- **कोर्ट ऑफिसर [जिसे कभी–कभी मेसर (macer) भी कहा जाता है]**: वह व्यक्ति है, जो जज को चीज़ें लाकर देता है और अदालत में अन्य लोगों की देखभाल करता है।
- **जूरी**: उन लोगों का समूह है, जो आपकी बातें सुनते हैं और अदालत को यह फैसला करने में मदद देते हैं कि क्या किसी ने कानून तोड़ा है।
- **अभियुक्त**: वह व्यक्ति है, जिसने हो सकता है कि कानून तोड़ा हो। अभियुक्त अदालत के कमरे में हो रही हर बात को देख और सुन सकता है।
- **जनता**: कभी–कभी अदालत में क्या हो रहा है, यह देखने के लिए कुछ अन्य लोग भी बैठे रहते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वे लोग वहाँ बैठे रहें तो आप जज या वकील से कह सकते हैं।
- **पुलिस या सुरक्षाकर्मी**: उनका काम है, यह देखना कि हर व्यक्ति ठीक से व्यवहार करे।

गवाह के रूप में आपका काम क्या है?

आपका काम है, अदालत में लोगों को यह बताना कि आप क्या जानते हैं।

कभी–कभी यह काम कठिन भी हो सकता है। अगर आप थोड़े से चिंतित हैं, तो जज और वकील यह समझ सकते हैं। वे जानते हैं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं। और वे आपकी मदद करेंगे।

आपसे कुछ सवाल पूछे जायेंगे।

- जज आपसे पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्या है और आपकी आयु कितनी है।
- वकील आपसे, जो कुछ आपने देखा या सुना हो, उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं।
- आपके साथ जो कुछ हुआ हो, उसके बारे में भी वे आपसे पूछ सकते हैं।

जो कुछ भी आप जानते हों, वह सब आपको जज और वकीलों को बता देना चाहिए।

अगर कुछ बातें ऐसी हों, जिनके बारे में बताना कठिन हो, तो भी आप उन्हें बता सकते हैं।

अगर कोई गोपनीय बात हो, तो वह भी उन्हें बताई जा सकती है, बशर्ते कि वह सच हो।

सच बताने में आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए।

अदालत को बताना कि आप क्या जानते हैं?

जज और वकील नहीं जानते कि क्या हुआ था।
आपको उनकी मदद करने के लिए अदालत को बताना चाहिए कि आप क्या जानते हैं।

यह बहुत ही जरूरी है कि सारी बातों के बारे में सच बोलें।

सभी सवालों को ध्यान से सुनें। सवालों का जवाब देने की कोशिश करें। साफ–साफ और ज़ोर से बोलना न भूलें।

अदालत यह जानना चाहती है कि आपको क्या कहना है। आपको क्या कहना है, इस बारे में दूसरा कोई आपको नहीं बता सकता।

कभी–कभी वकील बड़े–बड़े और कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर भ्रम पैदा करने वाले सवाल पूछते हैं। यदि कोई शब्द या सवाल आपकी समझ में नहीं आता, तो आप कह सकते हैं कि –'मैं समझा नहीं'।

आप अपना हाथ उठाकर कह सकते हैं – 'एक्सक्यूज़ मी', जैसे कि आप स्कूल में करते हैं।

आप उनसे यह भी कह सकते हैं कि छोटे शब्दों का प्रयोग करें।

यह बहुत ज़रूरी है कि आप किसी बारे में अनुमान न लगायें।

यदि आपको किसी बात का जवाब मालूम नहीं है या याद नहीं है, तो आप साफ कह सकते हैं।

अगर आपको जवाब नहीं मालूम तो घबराने की कोई बात नहीं है।

अदालत में व्यक्ति को देखना

हो सकता है कि आपने पुलिस को जिस व्यक्ति के बारे में बताया है, उसे आप पहले से ही पुलिस को दिखा चुके हों। यदि ऐसा है, तो आपको दोबारा यह करने की ज़रूरत नहीं है।

लेकिन हो सकता है, अदालत में वकील आपसे पूछे कि क्या आप उस व्यक्ति को वहाँ देख सकते हैं।

यदि आपसे यह पूछा जाये, तो ध्यान से चारों ओर देखिये।

यदि आप उस व्यक्ति को देखें तो उसकी ओर इशारा कीजिये।

यदि आप उसे नहीं देखें, तो कह सकते हैं – 'मैं उसे नहीं देख सकता'।

यदि आप अदालत में उस व्यक्ति को देखने के बारे में चिंतित हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को बतायें जो आपकी मदद कर सकता हो।

गवाह बनने में आपकी मदद करना

गवाह बनना हमेशा आसान नहीं होता। बड़े लोग समझते हैं कि आपको चिंता हो सकती है।

गवाह बनने में आपकी मदद करने के लिए आपको विभिन्न तरीकों के बारे में बताया जायेगा। इन तरीकों से आपको आरामदेह महसूस करने में मदद मिल सकती हैं।

वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, वीआईए (VIA) या गवाह सेवा के लोग आपको गवाह बनने के इन विशेष तरीकों के बारे में बतायेंगे।

विशेष टेलीविज़न का प्रयोग

आप अदालत में जाये बगैर विशेष टेलीविज़न का प्रयोग करके भी गवाह बन सकते हैं। अगर आप लोगों से भरी हुई अदालत में जाने के बारे में निश्चय नहीं कर पा रहे, तो यह आपकी मदद कर सकता है। आप जज और वकीलों से बात करने के लिए इस टेलीविज़न का प्रयोग कर सकते हैं।

टेलीविज़न का कमरा उसी इमारत में हो सकता है, जिसमें अदालत है।

कभी–कभी छोटे बच्चों को अदालत की इमारत में आने की ज़रूरत ही नहीं होती। टेलीविज़न का कमरा, अदालत से दूर किसी इमारत में हो सकता है।

जब टेलीविज़न चला दिया जाता है तो अदालत में बैठे लोग आपको देख सकते हैं और आपकी बातें सुन सकते हैं। आप भी टेलीविज़न स्क्रीन पर उस व्यक्ति को देख पायेंगे जो आपसे सवाल पूछ रहा हो।

अगर आप सवाल ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं या कोई और समस्या है तो जज को बताना चाहिए।

ओट (स्क्रीन) का प्रयोग करना

हो सकता है कि आप अदालत में तो जाना चाहते हैं लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को अदालत में देखने से चिंतित हैं।

अदालत में ऐसी ओट लगाई जा सकती हैं कि आपको उस व्यक्ति को देखना न पड़े।

यह ओट एक परदे की तरह होती है, जो कमरे को अलग–अलग हिस्सों में बाँट देती है।

आप जज, जूरी और वकीलों तथा उनके सहायकों को देख सकेंगे।

सहायक व्यक्ति का प्रयोग करना

आप पूरे समय अपने पास एक बड़े व्यक्ति को रख सकते हैं, तब भी जब आप जज या वकीलों से बातें कर रहे हों।

इस व्यक्ति को सहायक कहा जाता है।

सोचिये कि आप किसे अपना सहायक व्यक्ति बनाना चाहेंगे।

अन्य बातें जो आपकी मदद कर सकती हैं

वीआईए (VIA) या वकील आपको उन विशेष तरीकों के बारे में बता सकते हैं जो गवाह बनने में आपकी मदद करेंगे।

जब आपने पुलिस से बात की थी तो क्या पुलिस ने उसकी वीडियो या टेप रिकॉर्डिंग की थी? क्या पुलिस ने आपका बयान लिखा था?

अदालत में उस वीडियो या टेप को चलाया जा सकता है।
या पुलिस के लिखे हुए नोट्स पढ़कर सुनाये जा सकते हैं।

यदि ऐसा होता है, तो आपसे कहा जायेगा कि देखिये या सुनिये। फिर जो भी आपसे कहा होगा, उसके बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं।

अदालत में जज और वकील, आमतौर पर, यूनिफॉर्म की तरह, विग और गाउन पहनते हैं। इसके बारे में किसी से पूछिये। यदि आप नहीं चाहते कि वे विग और गाउन पहनें, तो कह दीजिये।

अदालत जानना चाहती हैं कि आप किस तरह गवाह बनना चाहेंगे।

सवाल पूछने से मत डरिये।

आपके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, यह चुनाव करने में कोई आपकी मदद करेगा।
यदि आप अपना फैसला बदलना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति को बतायें जो आपकी मदद कर सकता है।

अदालत में जाना

हो सकता है, आप पहले कभी किसी अदालत में न गये हों।

अच्छा है अगर आप पहले से उस अदालत या उस जगह को देख आयें जहाँ आप गवाह बनने वाले हैं।

आप वहाँ अपने किसी परिचित के साथ जा सकते हैं। जैसेकि आपके परिवार का कोई व्यक्ति या आपका सामाजिक कार्यकर्ता या वीआईए (VIA)।

वहाँ गवाह सेवा का कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको वहाँ घुमायेगा और आपकी मदद करेगा।

आप इधर–उधर घूम सकते हैं और उस जगह को भी देख सकते हैं जहाँ आप बैठेंगे।

आप विशेष टेलीविज़न और ओट (स्क्रीन) देख सकते हैं। आप गवाह बनने का अभ्यास भी कर सकते हैं।

अगर आप मनोरंजन करना चाहें, तो जज बनने का अभ्यास कर सकते हैं।

अदालत के कमरे और विशेष तरीके कैसे दिखते हैं, यह आप सीडी रॉम पर भी देख सकते हैं। इसके बारे में पूछें।

गवाह बनने की प्रतीक्षा करना

गवाही देने के लिए कभी–कभी काफी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।

अदालतें बहुत व्यस्त होती हैं। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। बोर भी होना पड़ सकता है। **अच्छा है अगर अपने साथ कोई किताब, या कॉमिक या अपना कोई मनपसंद खिलौना ले जायें।**

जो व्यक्ति आपके साथ आ रहा है, उससे कहें कि आपके लिए कुछ खाने–पीने को भी ले आये।

कभी–कभी हो सकता है आपको उस दिन घर लौटना पड़े और किसी और दिन आना पड़े।

कभी–कभी हो सकता है कि आपने सवालों के जवाब देने शुरू कर दिये हों लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आपको किसी और दिन आना पड़े।

आपका काम ख़त्म हो जाने के बाद क्या होता है?

जब सभी सवाल पूछ लिये जाते हैं और जो कुछ भी आप जानते हैं, उसे अदालत को बता देते हैं, तो आपका काम ख़त्म हो जाता है।

आपने एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण काम पूरा कर लिया है।

जब सभी गवाहों का काम ख़त्म हो जाता है तब अदालत यह फैसला करेगी कि क्या किसी ने कानून तोड़ा है और उसके बारे में क्या किया जाना है। कोई आपको बतायेगा कि अदालत ने क्या फैसला किया है।

शाबाश!
गवाह बनने के लिए धन्यवाद।

याद रखने योग्य बातें

जब आप गवाह हों तो मदद माँग सकते हैं।

'एक्सक्यूज़ मी!'

आप अपना हाथ उठाकर 'एक्सक्यूज़ मी' कह सकते हैं।

आपको कुछ देर आराम करने के लिए रुकने की ज़रूरत हो सकती है।

आपको पानी पीने की या टॉयलेट जाने की ज़रूरत हो सकती है।

अगर आप अस्वस्थ या थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो जज और वकील इसे समझ सकते हैं।

सभी लोग आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे।

प्रश्न?

अगर गवाह बनने के बारे में आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उन्हें लिख सकते हैं।

यदि आप चाहें तो किसी से मदद ले सकते हैं।

वकील, वीआईए (VIA) या गवाह सेवा आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे।

प्रश्न?	उत्तर
क्या मैं स्क्रीन या विशेष टेलीविज़न का प्रयोग करना चाहता हूँ?	
मेरा सहायक व्यक्ति कौन हो सकता है?	
क्या मैं पहले से अदालत देखना चाहता हूँ?	
मैं किन बातों के बारे में चिंतित हूँ?	

शाबाश और धन्यवाद

आपके नोट्स

इस दस्तावेज की अन्य प्रतियाँ ऑडियो, बड़े अक्षरों और सामुदायिक भाषाओं में, अनुरोध करने पर उपलब्ध हैं।
कृपया संपर्क करें – 0131 244 2213।

© क्राउन कॉपीराइट 2005

यह दस्तावेज़ स्कॉटिश प्रशासन की वेबसाइटः www.scotland.gov.uk पर भी उपलब्ध है।

Astron B41390 06/05 (Hindi)

अन्य प्रतियाँ उपलब्ध हैं–
Blackwell's Bookshop
53 South Bridge
Edinburgh
EH1 1YS

फोन द्वारा ऑर्डर और पूछताछ
0131 622 8283 अथवा 0131 622 8258

फैक्स द्वारा ऑर्डर
0131 557 8149

ई–मेल द्वारा ऑर्डर
business.edinburgh@blackwell.co.uk

यह दस्तावेज़, मूल की हूबहू प्रतिकृति समझा जा सकता है

www.scotland.gov.uk